राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित,

ज्येष्ठ 27, सोमवार, शक सम्वत् 1885- जून 17,1963

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, June 15, 1963

राजस्थान राज्य पशु मेला अधिनियम 1963 अधिनियम संख्या-14 सन् 1963 महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 जून 1963 को प्राप्त हुई।

राजस्थान राज्य पशु मेला अधिनियम 1963

(अधिनियम संख्या- 14 वर्ष 1963)

राज्य पशु मेलों के प्रबंध तथा नियंत्रण के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के 14 वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मंडल द्वारा निम्न रूपेण अधिनियमित किया जाता है:-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभः-

(i) यह अधिनियम राजस्थान राज्य पशु मेला अधिनियम 1963 कहलायेगा

(ii) यह समस्त राजस्थान राज्य में लागू होगा।

(iii) यह तुरंत प्रभावशील होगा।

2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में जब तक की प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो;

(i) राज्य पशु मेला से तात्पर्य अनुसूची एक में उल्लेखित किसी मेले से है।

(ii) मेला क्षेत्र से तात्पर्य राज्य पशु मेले का क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा परिभाषित हो से है।

(iii) मेला अवधि से तात्पर्य अनुसूची-2 में किसी मेले के सम्मुख उल्लेखित अवधि से है।

(iv) प्रभारी अधिकारी से तात्पर्य समस्त या किसी राज्य पशु मेंले के संबंध में प्रभारी अधिकारी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से है।

3. राज्य पशु मेलों का नियंत्रणः- राज्य पशु मेलों का प्रबंध तथा नियंत्रण राज्य सरकार में निहित रहेगा और इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के

अनुसार (प्रबंध) किया जाएगा।

4.मेला क्षेत्र में कोई अन्य मेला नहीं लगाया जाएगाः- मेला क्षेत्र से बीस मील के अर्द्धव्यास के भीतर मेला अवधि से तीन मास पूर्व तथा दो मास पश्चात की अवधि में राज्य पशु मेले के अतिरिक्त कोई अन्य पशु मेला नहीं लगाया जाएगा।

(किंतु शर्त यह है कि जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक या इष्टकर है तो राज्य सरकार किसी पशु मेले को इस अधिनियम के प्रभाव से मुक्त कर सकेगी।)

5.मेला समिति की नियुक्तिः- प्रभारी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन में सहायता करने के लिए राज्य सरकार निर्धारित तरीके से एक मेला समिति नियुक्त करेगी।

6.मेला कर की वसूलीः- प्रत्येक व्यक्ति ऐसे पशुओं के लिए जिन्हें वह मेला क्षेत्र में मेला अवधि में खरीदे, अनुसूची-2 में दी गई दरों पर निर्धारित तरीके से राज्य सरकार को मेला कर देगा।

7.पथ-कर तथा फीस लगाने की शक्तिः- राज्य सरकार मेला क्षेत्र के भीतर मेला अवधि में निर्धारित तरीके से निम्नलिखित आरोपित कर सकेगी अर्थात-

(i) उक्त क्षेत्र में व्यापार के प्रयोजनों के लिए प्रवेश करने वाली गाड़ियों पर पथ-शुल्क;

(ii)उक्त क्षेत्र के भीतर विक्रय के लिए ले गए सामान पर चुंगी।

8.स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार का अपवर्जनः-कोई भी स्थानीय संस्था मेला क्षेत्र में मेला अवधि में कोई कर या फीस न तो लगाएगा न उगाहेगा ।

9.स्थान नियतः-

(i) प्रभारी अधिकारी मेला क्षेत्र में मेला अवधि के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग को किसी प्रयोजन के लिए स्थान नियत कर सकेगा और उक्त स्थान के लिए निर्धारित प्रणाली से किराया निश्चित कर सकेगा।

(iii) प्रभारी अधिकारी उप धारा एक द्वारा प्रदत्त शक्ति की सामान्यतया पर विपरीत प्रभाव डाले बिना और विशेष तौर पर निम्नलिखित के लिए स्थान नियत कर सकेगा;

(क) जिस मत से राज्य पशु मेला संबंधित हो उसे मत की धार्मिक संस्थाएं यदि कोई हो;

(ख) सामाजिक तथा अन्य संस्थाएं व संगठन;

(ग) राज्य सरकार या स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारी;

(घ) बाजार के लिए स्थान तथा दुकाने;

(ड) मूत्रालय-शौचालय व कूड़े-करकट के लिए स्थान;

(च) स्नान के लिए स्थान;

(छ) मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद;

(ज) कृषि संबंधी उद्योग संबंधी व अन्य प्रदर्शनियों व प्रदर्शनों तथा;

(झ) राज्य पशु के अन्य प्रयोजनों के लिए।

10.नियम बनाने की शक्तिः- (1) राज्य सरकार सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए तथा विशेषतया निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करने हेतु नियम बना सकेगीः-

(i) राज्य पशु मेला निधि की स्थापना;

(ii) ऐसी निधि से किए जाने वाला खर्च तथा आधिक्य का उपयोग;

(iii) मेला क्षेत्र में स्वच्छता तथा बीमारियों पर नियंत्रण;

(iv) धारा 5 के अधीन मेला समितियां की नियुक्ति;

(v) इस अधिनियम द्वारा लगाए जाने वाले कर तथा फीसों के आरोपणए मूल्यांकन तथा संग्रहण की प्रणाली जिनमें कुर्की व विक्रय द्वारा उनकी वसूली की प्रणाली शामिल है;

(vi) धारा 9 के अधीन स्थानों के नियतन तथा किरायों के निर्धारण की प्रणाली;

(vii) धारा 18 के अधीन समझौतों की कार्यवाही तथा शर्तें तथा;

(viii) कोई अन्य प्रयोजन जिसके लिए नियम बनाना अपेक्षित हो या बनाए जा सकते हो।

(2) समस्त नियम जो इस अधिनियम के अधीन बनाई जाए बनाए जाने के पश्चात यथासंभव शीघ्र राज्य विधान मंडल जब की सत्र चालू हो के सदन के समक्ष ऐसी अवधि जो 14 दिन से कम न हो, तथा जो एक सत्र में अथवा दो उत्तरोत्तर सत्रों में पूर्ण हो, के लिए रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र की,जिसमें कि वे रखे जाये या तदनुवर्ती सत्रों की, समाप्ति के पूर्व,राज्य विचार मंडल का सदन उक्त नियमों में से किसी में कोई रूपांतर करें अथवा यह निश्चित करें कि कोई वैसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो उक्त नियम तत्पश्चात उक्त रूपेण रूपांतरित स्वरूप में ही प्रभाव युक्त अथवा प्रभाव शून्य, यथा स्थिति, होगा तथापि इस भाति कि तदन्तर्गत पूर्वकः की गई किसी बात की वैधता पर वैसा कोई रूपांतरण अथवा अभिशून्यन, प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा।

11. विनियम बनाने की शक्ति प्रभारी अधिकारी धारा 10 के अन्तर्गत बनाये गयेः-नियमों के अधीन रहते हुए, आग लगने अथवा फैलने के विरूद्ध सामान्यतया तथा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये व्यवस्था करने हेतु बिशेषतया विनियम बना सकेगा, अर्थात्ः-

(i) मेला क्षेत्र में स्थित भवनों तथा संरचनाओं की सुरक्षा,

(ii) ऐसी शर्तें निर्धारित करना जिन पर झोंपडियां तथा अन्य संरचनाऐं जिनमें उक्त झोंपडियों तथा संरचनाओं की ऊंचाई की सीमायें तथा वे क्षेत्र जहां वे बनाये जाने की है और उनके बीच की दूरी शामिल है निर्माण की जा सकें,

(iii) जल-प्रदाय की व्यवस्था,

(iv) आग का उपयोग भोजन बनाने या किसी अन्य प्रयोजन के लिये सीमित करना।

12.आग का लगनाः- आग लगने की दशा में,प्रभारी अधिकारी किसी संरचना के गिराये जाने की आज्ञा दे सकेगा यदि उनके निर्णय के अनुसार आग को फैलने से रोकने के लिए, उक्त संरचना को गिराया जाना आवश्यक या इष्टकर हो और ऐसे किसी कार्य के लिये जो इस धारा के अधीन

सदभावना से किया गया हो या जिसका सदभावना से किया जाना अभिप्रेत हो, कोई दावा या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

13.अप्राधिकृत निर्माण को हटाने की शक्ति प्रभारी अधिकारी किसी भी अप्राधिकृत संरचना को हटवा सकेगा और ऐसे हटाये जाने का खर्चा निर्माण करने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

14.भूमि ग्राहियों की बेदखली:- प्रभारी अधिकारी किसी व्यक्ति की, जो इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उस भूमि से जो उसे नियत की गई हो बेदखल किये जाने की आज्ञा दे सकेगा।

15. मेला क्षेत्र को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध संक्षिप्त कार्यवाहियां:-

(i) यदि प्रभारी अधिकारी को किसी भी समय सकारण यह विश्वास हो जाये कि प्राप्य है या प्राप्य होने वाली है, मेला क्षेत्र छोड़कर जाने वाला है तो प्रभारी अधिकारी उक्त रकम जो प्राप्य हो या प्राप्य होने वाली हो के लिये बिल उस व्यक्ति के समक्ष पेश करा सकेगा और रकम के तुरन्त भुगतान की मांग कर सकेगा।

(2) यदि बिल पेश किये जाने पर उक्त व्यक्ति देय या देय होने वाली रकम तुरन्त भुगतान नहीं करता है तो वह रकम उस व्यक्ति के कब्जे में उपलब्ध पशुओं या अन्य चल सम्पत्ति की, निर्धारित तरीके से, कुर्क व बेचकर वसूल की जा सकेगी।

16-शास्तियां: कोई व्यक्ति जो

(क) धारा 4 के उल्लंघन में किसी मेले का आयोजन करता है, संग्रह करता है या उसमें अन्य प्रकार से लाभ लेता है,

(ख) शौचालय,मूत्रालय या कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिये किसी ऐसे स्थान को उपयोग में लाता है जो कि तदर्थ नियत नहीं किया गया है,

(ग) इस अधिनियम के या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन देय किसी फीस या कर का भुगतान नहीं करता है या भुगतान टालता है, या

(घ) इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये किन्हों नियमों या विनियमों के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है,

दोष सिद्ध पाये जाने पर,ऐसे जुर्माने से, जो रूपये 500/- तक हो सकता है,और जबकि अपराध सतत हो तो,ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोष सिद्धि की तारीख के पश्चातवर्ती प्रतिदिन जबकि उक्त उपराध सतत रहे, के लिये रू. 25/- तक हो सकता है, दंडनीय होगा।

17-अपराधों का प्रसंज्ञान :-

(क) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का प्रसंज्ञान प्रभारी अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत किये जाने की स्थिति को छोड़कर अन्यधा नहीं करेगा।

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी के कि पड़ताल सरसरी तौर पर की जा सकेगी।

18.अपराधों का समाधान:- प्रभारी अधिकारी किसी भी ऐसे व्यति भी, समझौता कर सकेगा जिसने प्रभारी अधिकारी को सम्मति में इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है. और ऐसा समझौता होने पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(किन्तु राज्य सरकार नियमों के जरिये उस समझौते की कार्यवाहियों की तया उसकी शर्तों को विनियमित कर सकेगी।)

19.अनुसूची 1 में संशोधन करने की शक्ति:- राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञति द्वारा अनुसूची 1 में वृद्धि या विलोपन के रूप में संशोधन कर सकेगी।

20.अधिनियम अन्य विधियों पर अभिप्रभावी होगा इन अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रभावशील किसी अन्य विधि में इनसे असंगत किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी प्रभावशील होंगे।

अनुसूची-1

क्र.सं.	राज्य पशु मेला का नाम	स्थान	समयावधि (हिन्दी तिथि)
1	श्री गोमती सागर पशु मेला	झालरापाटन (झालावाड़)	वैशाख शुक्ल 13 से ज्येष्ठ कृष्ण 5 तक
2	श्री वीर तेजाजी पशु मेला	परबतसर (डीडवाना - कुचामन सिटी)	श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्र कृष्ण अमावस्या तक
3	श्री गोगामेड़ी पशु मेला	गोगामेड़ी (हनुमामनगढ)	श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्र शुक्ल 15 तक
4	श्री जसवन्त प्रदर्शनी एवं पशु मेला	भरतपुर	आश्विन शुक्ल 5 से आश्विन शुक्ल 14 तक
5	श्री कार्तिक पशु मेला	पुष्कर (अजमेर)	कार्तिक शुक्ल 1 से मार्गशीर्ष कृष्ण 2 तक
6	श्री चन्द्रभागा पशु मेला	झालरापाटन (झालावाड़)	कार्तिक शुक्ल 11 से मार्गशीर्ष कृष्ण 5 तक
7	श्री रामदेव पशु मेला	नागौर	माघ शुक्ल 1 से माघ शुक्ल 15 तक
8	श्री महाषिवरात्रि पशु मेला	करौली	माघ शुक्ल 15 से फाल्गुन कृष्ण 7 तक
9	श्री मल्लीनाथ पशु मेला	तिलवाड़ा (बालोतरा)	चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक
10	श्री बलदेव पशु मेला	मेड़ता सिटी (नागौर)	चैत्र शुक्ल 1 से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक

अनुसूची-2

	पशु किस्म	प्रति पशु
1.	बैल	पांच रूपए
2.	भैंसा	दो रूपये पचास नये पैसे
3.	घोड़ा	छः रूपये
4.	खच्चर	दो रूपये पचास नये पैसे
5.	गधा	दो रूपये
6.	भेड़ व बकरी	पचास नये पैसे
7.	ऊंट	आठ रूपये